अध्याय – III

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

3.1 औषध एवं औषधी अनुसंधान कार्यक्रम का कार्यान्वयन

औषध एवं औषधीय अनुसंधान कार्यक्रम के अंन्तर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संस्वीकृत परियोजनाओं के चयन, वित्तीय प्रबन्धन और मॉनीटरिंग मे कमियों के कारण ₹ 73.68 करोड़ बकाया ऋणों और ब्याज की वसूली न होना, अन्तिम परियोजना समापन रिपोर्टों का प्राप्त न होना और परियोजनाओं से उत्पन्न परिणामों पर सूचना की कमी हुई। भारतीय औषधीय उद्योग की क्षमताएं बढाने और कम लागतों पर नई औषधियां विकसित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने का उद्देश्य हासिल नहीं था।

3.1.1 प्रस्तावना

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) ने औषध एवं औषधीय क्षेत्र में सहभागिता अनुसंधान तथा विकास (आर.एण्ड.डी.) प्रोत्साहित करने के लिए योजना कार्यक्रम के रूप में 1994-95 के दौरान औषध एवं औषधीय अनुसंधान कार्यक्रम (डी.पी.आर.पी.) आरम्भ किया। कार्यक्रम का उद्देश्य औषध एवं औषधीय क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता बढाने के लिए नए औषध विकास के लिए अवसंरचना और तंत्र में समर्थ होने के लिए सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित अनुसंधान संस्थानों और भारतीय औषधीय उद्योग की सामर्थ्य को शक्ति देना था। अनुसंधान का केन्द्र बिन्दु विशेष रूप से समाज के गरीब वर्गों के बीच प्रचालित सामान्य बीमारियों जैसे क्षय रोग, कुष्ठ रोग, काला ज्वर, मलेरिया, डायरिया, अतिसार, तनाव सम्बधी अवस्था, वक्ष से सम्बन्धित गड़बडियां, हैजा आदि से लड़ने के लिए तथा न्यूनतम कीमत पर औषधियां प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यतया औषधियां विकसित करना था।

औषध एवं औषधीय अनुसंधान कार्यक्रम

जनवरी 2004 के दौरान भारत सरकार ने उद्योग तथा शैक्षणिक संस्थाओं/ प्रयोगशालाओं द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तावित आर.एण्ड.डी. परियोजनाओं की सहायता करने के लिए तथा औषध उद्योगों द्वारा आर.एण्ड.डी. परियोजनाओं के लिए आसान ऋण प्रस्तुत करने के लिए डी.एस.टी. के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन औषध विकास प्रोत्साहन बोर्ड (डी.डी.पी.बी.) स्थापित किया।

वित्तपोषण हेतु प्राप्त परियोजना प्रस्तावों की डी.एस.टी. और बाह्य विशेषज्ञों द्वारा संवीक्षा की गई थी। विशेषज्ञों की टिपण्णियों के साथ प्रस्तावों को विशेषज्ञ समिति के समस्त प्रस्तुत किए गए थे। विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर परियोजनाएं वित्तपोषण हेतु अनुमोदित कर दी गई थी। फार्मा उद्योग को वित्तपोषण कुल परियोजना लागत के 70 प्रतिशत की सीमा तक आसान ऋण के रूप में था। संस्वीकृत ऋण अलग-अलग परियोजनाओं की प्रगति के आधार पर अधिकतम तीन किश्तों में जारी किया जाना था। तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष का ब्याज ऋण की बकाया राशी और औद्योगिक भागीदार की निधियां जारी करने की तारीख से देय राशी पर प्रभारित किया जाना था।

वर्ष 2004-05 से वर्ष 2013-14 तक की अवधि के दौरान डी.एस.टी. ने 73 परियोजनाएं संस्वीकृत की और 73 फर्मो को ₹ 347.34 करोड़ की कुल राशि वितरित की।

3.1.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में संवीक्षा हेतु उनकी लागत और समापन की अनुसूचित तारीख के आधार पर ₹ 95.27 करोड़ की ऋण राशि वाली 19 परियोजनाओं का चयन किया गया। 19 प्रतिदर्श परियोजनाओं में से चार परियोजनाएं बीच में समाप्त/बन्द कर दी गई थीं। शेष 15 परियोजनाओं में लेखापरीक्षा में औद्योगिक भगीदारों के चयन, कार्यान्वयन के दौरान और समापन के बाद परियोजनाओं की मॉनीटरिंग आदि में कमियां देखी गई थी। 31 मार्च 2014 तक नौ परियोजनाओं के अन्तर्गत ऋणों की मूल राशि (₹ 56.42 करोड़) और ब्याज (₹ 6.92 करोड़) ₹ 63.34 करोड़ की राशि देय थी। इसके अतिरिक्त 12 परियोजनाओं के अन्तर्गत ₹ 10.34 करोड़ का दण्डात्मक ब्याज भी देय था। लेखापरीक्षा आपत्तियों पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है। सभी 19 परियोजनाओं के ब्यौरे ***परिशिष्ट XII*** में दिए गए है।

3.1.2.1 परियोजनाओं से कोई मूर्त परिणाम नहीं

डी.एस.टी. ने प्रत्येक ऋण धारी की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व, परियोजना के उद्देश्य, अवधि, वित्तीय प्रबन्ध, मॉनीटरिंग, प्रबन्ध आदि स्पष्ट कर सभी 19 परियोजनाओं के उद्योग भागीदारों के साथ अनुबन्ध किए। अनुबन्ध के अनुसार, परियोजना, सचिव डी.एस.टी. द्वारा परियोजनाओं की मॉनीटरिंग समिति से सिफारिश की स्वीकृति पर पूर्ण मानी जाएगी। औद्योगिक भागीदार को डी.एस.टी. को छमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना और परियोजना मॉनीटरिंग समिति को अवधिक इनपुट और सूचना जैसी मांगी जाय, प्रदान करना अपेक्षित था। औद्योगिक भागीदार को परियोजना से उत्पन्न बौद्धिक सम्पदा उपयोग करने का पहला अधिकार होगा और 10 वर्षों की अवधि के लिए निवल विक्रय मूल्य के 0.5 प्रतिशत की दर पर रायल्टी भुगतान करना था। परियोजना के अन्तर्गत उत्पन्न प्रौद्योगिकी के तीसरी पार्टी को लाइसेंसिग और उद्योग भागीदार द्वारा प्रौद्योगिकी के आगे किसी विकास की दशा में देय और भुगतान योग्य ऐसी रायल्टी विभाजित की जाएगी। परियोजना के संबंध में पत्रिकाओं में प्रकाशन, परियोजना मॉनीटरन समिति द्वारा ऐसे प्रकाशनों के निर्वाधन के बाद ही किए जाने थे।

लेखापरीक्षा में देखा कि डी.एस.टी. के पास 19 परियोजनाओं में से किसी के परिणाम की कोई सूचना नहीं थी। औद्योगिक भागीदारों से परियोजना समापन रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। परिणाम स्वरूप परियोजनाओं और प्रौधौगिकियों अथवा बौद्दिक सम्पदा विकास के अन्तर्गत उद्दश्यों की प्राप्ति की मात्रा का कोई अभिलेख नहीं था। औद्योगिक भागीदार द्वारा परियोजनाओं के अन्तर्गत उत्पन्न प्रौधौगिकियों को उपयोग, यदि कोई हो, पर डी.एस.टी. द्वारा कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई।

डी.एस.टी. ने स्वीकार किया (जून 2015) कि कुछ उद्योगों ने अन्तिम परियोजना समापन रिपोर्ट नहीं दी थी। डी.एस.टी. ने आगे बताया कि कार्यक्रम ने देश को अनेक उत्पाद दिए, कुछ पेटेंट किए गए, और अनेक चिकित्सीय परीक्षणों के विभिन्न चरणों में थे। तथापि ऐसी उपलब्धियों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके अलावा डी.एस.टी. ने डी.पी.आर.पी. के अन्तर्गत विकसित, पेटेन्ट की गई, हस्तान्तरित और वाणिज्यिकीकृत प्रौद्योगिकी से सम्बधित कोई डाटाबेस नहीं बनाया था। इसलिए इसके अभाव में इन परियोजनाओं के अन्तर्गत उत्पन्न किसी परिणाम को लेखापरीक्षा में अभिनिश्चित नहीं किया जा सका।

इस प्रकार 19 परियाजनाओं में ₹ 95.27 करोड़ (आसान ऋण के रूप में) का निवेश करने के बाद भी डी.एस.टी. ने परियोजनाओं से कोई मूर्त परिणाम दर्ज नहीं किया।

अतः क्षमताएं निर्मित करने, औषधियों का विकास करने और कम कीमत पर उन्हें प्रदान करने के कार्यक्रम के उद्देश्य की प्राप्ति दृष्टिगोचर नहीं हो सकी।

3.1.2.2 अपात्र उद्योग भागीदारों को परियोजनाओं की संस्वीकृति

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 220(3) के अनुसार राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्थानीय प्रशासनों के अतिरिक्त पार्टियों से ऋण आवेदन पर विचार करने से पूर्व यह देखा जाना चाहिए कि, पर्याप्त बजट प्रावधान है तथा ऋण की मंजूरी अनुमोदित सरकारी नीति और सहायता के स्वीकृति प्रतिमानों के अनुरूप होगी। ऋण अनुमोदन करने से पूर्व आवेदक से (i) गत तीन वर्षों के लाभ एंव हानि (अथवा आय और व्यय) लेखे और तुलन पत्रों की प्रतियां; (ii) आय के मुख्य स्रोत और निर्धारित अवधि के अन्दर ऋण चुकाया जाना कैसे प्रस्तावित था; (iii) पूर्व में लिए गए केन्द्रीय/राज्य सरकार से लिए गए लोन का विवरण, जिसमें आवेदन की तारीख को राशि, प्रयोजन, ब्याज की दर, चुकौती की निर्धारित अवधि, मूल ऋण की तारीख और ऋण (जों) के प्रति बकाया राशि और प्रतिमूर्ति के रूप में प्रदत्त परिसम्पत्ति, यदि कोई हो, इंगित किए गए हो; (iv) आवेदन की तारीख को बकाया सभी अन्य ऋणों और उनके गारंटी के रूप में प्रदत्त परिसम्पत्तियों की पूर्ण सूची; (v) प्रयोजन जिसके लिए ऋण का उपयोग किए जाना प्रस्तावित है और योजना की अर्थ व्यवस्था।

सामान्य वित्तीय नियमावली का नियम 220 आगे स्पष्ट करता है कि पूर्व ऋणों के संबंध में निष्पादन का निर्णय करने के लिए केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों, जिससे पार्टी ने ऋण लिया है, को अन्य विभागों से गोपनीय पूछताछ की जानी चाहिए और प्रस्तावित की जाने वाली ऋण राशि के प्रति लाभार्थी फर्म से आनुषंगिक/गारंटी प्राप्त की जानी चाहिए और उसका मूल्यांकन स्वतंन्त्र प्राधिकरण से कराया जाना चाहिए।

इसके अलावा अनुबन्ध से संलग्न शर्तें और निबन्धन भी अपेक्षा करते हैं कि औद्योगिक भागीदार के पास वैध मान्यता[20] के साथ आर.एण्ड.डी. केन्द्र होना चाहिए और यदि पंजीकृत नहीं है तो फर्म को 12 माह के अन्दर आर.एण्ड.डी. केन्द्र को मान्यता दिलानी थी। इसमे विफल रहने में फर्म को ऋण राशि वापस करने के लिए कहा जा सकता था यदि समय वृद्धि नहीं दी गई हो।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि डी.एस.टी. ने आठ उद्योग भागीदारों जिन्होने आवश्यक अपेक्षाएं पूरी नहीं की थी, को परियोजनाएं संस्वीकृत की और ₹ 46.38 करोड़ के ऋण जारी किए जिसकी नीचे चर्चा की गई है।

[20] वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के साथ पंजीकृत।

(i) चार फर्मों को, जो वित्तीय रूप से मजबूत नहीं थी, अल्प शेयर पूंजी, पर्याप्त ऋण देयता, सीमित स्थाई परिसम्पतियां, न्यूनतम कार्य पालन पूंजी के अतिरिक्त बड़ी संचित हानियां रखती थीं, ऋण स्वीकृत किए गए थे जैसा कि तालिका 13 में दर्शाया गया है।

तालिका 13 : वित्तीय रूप से अशक्त फर्मों के ब्यौरे जिन्हें ऋण संस्वीकृत किए गए थे

क्रम सं.	फर्म का नाम	परियोजना का नाम	औद्योगिक भागीदारों की वित्तीय स्थिति	ऋण की राशि (₹ करोड़ में)
				संस्वीकृत जारी
1.	थर्टीन हर्बस एण्ड क्योर, नई दिल्ली	एचआईवी/एडस के लिए देशी प्रतिरक्षक हर्बल फार्मूलेशन पी-ज्योति अमृतम का विकास	शेयर पूंजी: ₹ एक लाख अरक्षित ऋणः ₹ 14 लाख स्थाई परिसम्पतियाः ₹ 2 लाख	1.70 (1.11)
2.	सेलमैक्स फार्मा प्रा.लि., अलीगढ़	वाणिज्यिक रूप से क्षम रीकम्बीनेंट उत्पादों एंव नैदानिक किटों का विकास	• औद्योगिक भागीदार एक आरम्भिक कम्पनी था इसलिए परियोजना प्रस्ताव की संस्वीकृति के समय पर पूर्व वर्ष का वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं था। • औद्योगिक भागीदार की प्राधिकृत शेयर पूंजी केवल ₹ एक लाख थी। • परियोजना की अन्तर्गत अपनी वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए कम्पनी के पास राजस्व उत्पादन/आय का कोई स्रोत नहीं था।	4.34 (2.00)
3.	बिगटेक प्राइवेट लिमिटेड, बंगलूरू	उच्च उत्पादक रीकम्बीनेंट मानव इन्सूलिन स्ट्रेन और प्रक्रिया का विकास जिसके कारण सफल व्यापारीकरण हो	• औद्योगिक भागीदार का ऋण 2003-04 में ₹ 63.84 लाख से बढ़कर 2004-05 में ₹ 1.37 करोड़ और 2005-06 में ₹ 3.03 करोड़ हो गया जबकि शेयर पूंजी उस सीमा तक नहीं बढ़ी। परिणामस्वरूप औद्योगिक भागीदार का ऋण इक्विटी अनुपात जो 2003-04 में 0.88 प्रतिशत था वर्ष 2004-05 और 2005-06 में क्रमशः 1.18 प्रतिशत और 2..40 प्रतिशत तक बढ़ गया जो इसकी घटती	1.92 (1.92)

क्रम सं.	फर्म का नाम	परियोजना का नाम	औद्योगिक भागीदारों की वित्तीय स्थिति	ऋण की राशि (₹ करोड़ में) संस्वीकृत जारी
			वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। इसके अलावा ₹ 52.16 लाख (2003-04), ₹ 42.48 लाख (2004-05) और ₹ 37.02 लाख (2006-07) के असमायोजित विविध व्यय को हिसाब में लेकर यह अनुपात आगे और बढ़ सकता है।	
4.	मेडीक्लोन बायोटेक प्राइ.लि.मि., चेन्नई	रेबीज रोधी मोनोक्लोनल एंटीबाडी (एम.ए.बी.) काकटेल और रेबीज वायरस खोज के लिए इम्यूनोडाइग्नोस्टिक एम.ए.बी. का विकास और विनिर्माण	• औद्योगिक भागीदार की 31 मार्च 2007 को ₹ 44.76 लाख की संचित हानि थी। • ₹ 14.15 लाख के रक्षित/अरक्षित ऋणों के अतिरिक्त इसकी ₹42.50 लाख[21] की छोटी शेयर पूंजी थी और औद्योगिक भागीदार द्वारा 2006-07 के दौरान भारत सरकार से ₹ 5.91 करोड़ का ऋण भी लिया गया था। • कार्यचालन पूंजी के रूप में इसके पास मात्र ₹ 7.56 लाख की अल्प राशि थी।	11.27 (10.22)

(ii) तालिका 14 में उल्लिखित छः मामलों में औद्योगिक भागीदारों के पास आर.एण्ड.डी. केन्द्र अथवा डी.एस.आई.आर. से वैध मान्यता नहीं थी। इसके अलावा ये फर्मे आर.एण्ड.डी. केन्द्र स्थापित करने और परियोजना के अनुमोदन के 12 माह के अन्दर उनकी मान्यता प्राप्त करने में भी विफल रही।

21 ₹ 6.06 करोड़ की शेयर आवेदन की राशि को छोड़कर । हालांकि, इस आवेदन की राशि के समायोजन और शेयर के आवंटन के बारे में (लेखापरीक्षा में प्रदान की गई) लेखापरीक्षाक प्रतिवेदनों में कुछ प्रतिवेदित नहीं था।

तालिका 14 : फर्मों के ब्यौरे जिन्होने आर.एण्ड.डी. केन्द्रों की स्थापना नहीं की थी

क्रम सं.	फर्म का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृति की तारीख (जारी)	ऋण की राशि *(₹ करोड़ में)* संस्वीकृत
1.	प्रोम्ड एक्सपोर्टस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	वयवसायीकरण स्तर तक औषध लाने एवं मोतियाबिंद के प्रभावी निवारण और निदान में प्रौधोगिक और नवपरिवर्तन लागू करने के लिए मोतियाबिंद रोधी आईड्राप के निरूपण विकास, स्थायित्व अध्ययन पूर्व नैदानिक और नैदानिक अध्ययन।	मार्च 2005	5.00 (4.00)
2.	माइक्रोटेस्ट इन्नोवेशन्स प्रा. लिमिटेड, बंगलुरू	एच.आई.वी./एडस में औषध प्रभावोत्पादकता मॉनीटरिंग में लागत प्रभावी वायरल लोड एसाय और इसके वाणिज्यिक अनुप्रयोग का विकास	दिसम्बर 2005	1.18 (1.18)
3.	कैमबायोटेक रिसर्च इण्टरनेशनल प्रा. लि.	अण्डरकैप्रीनिल पायरोफास्फेट सिन्थेस के श्रेष्ठ अवरोधकों की खोज तथा विकास	मई 2007	11.00 (11.00)
4.	इण्डीजीन फार्मास्युटीकल्स प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद	चिकित्सा और बाजार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पौधों से प्राप्त प्राकृतिक आणुविक संवीजनो (एन.एम.सी.) आधारित नवपरिवर्तनकारी, सुरक्षित और प्रभावी औषधियों के विकास और प्रसार के लिए चरण सी के माध्यम से प्राथमिकीकृत औषध अभ्यर्थियों का चिकित्सीय विकास	अक्टूबर 2007	14.95 (14.95)
5.	सेलमैक्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, अलीगढ़	वाणिज्यिक रूप से क्षम रीकम्बीनेंट उत्पाद और नैदानिक किटों का विकास	जनवरी 2008	4.34 (2.00)
6.	थर्टीन हर्ब्स एण्ड क्योर, नई दिल्ली	एच.आई.वी./एडस के लिए देशी प्रतिरक्षक हर्बल फार्मूलेशन पी ज्योति अमृतम का विकास	मार्च 2008	1.70 (1.11)

(iii) ऋण स्वीकृत करने से पूर्व डी.एस.टी. ने पूर्व ऋणों की अदायगी के संबंध में फर्मों का निष्पादन पता करने के लिए केन्द्र सरकार के अन्य विभागों से और राज्य सरकारों से भी पूछताछ नहीं की थी। इस प्रकार डी.एस.टी. ने सरकार के

हित की सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे। लेखापरीक्षा में देखा गया कि ये उद्योग भागीदार डी.एस.टी. को ऋण/ब्याज की समय पर अदायगी में विफल हो गए जिस पर पैरा 3.1.2.4 (iii) में विस्तार से चर्चा की गई है।

डी.एस.टी. ने तथ्य स्वीकार कर लिए (जून 2015) और बताया कि ऋणाधार बन्धक, बैंक गारंटी और अन्य सम्बन्धित विषयो के माध्यम से ऋण सुरक्षित करने के कार्यक्रम में कोई तथ्य विद्यमान नहीं था। उन्होने आगे आश्वासन दिया कि भविष्य में केवल उन्हीं परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास डी.एस.आई.आर. द्वारा मान्यता प्राप्त आर.एण्ड.डी. केन्द्र होंगे और अच्छी वित्तीय स्थिति/टर्नओवर होगी।

3.1.2.3 अनुबन्ध हस्ताक्षर करने से पूर्व जारी ऋण किश्त

परियोजनाओं के लिए जारी स्वीकृति की शर्तों और निबन्धनो के अनुसार पहले वर्ष कि ऋण किश्त केवल अनुबन्ध हस्ताक्षर करने के बाद जारी की जानी थी। लेखापरीक्षा में देखा गया कि डी.एस.टी. ने तालिका 15 में उल्लिखित नौ मामलों में प्रावधान का उल्लंघन किया, जिसमें इसने पहली किश्त जारी करने के 28 दिनो से तीन महीने बाद अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किए।

तालिका 15 : मामले जिनमें डी.एस.टी. ने ऋण की पहली किश्त जारी करने के बाद अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किए

क्रम सं.	उद्योग भागीदार का नाम	परियोजना का नाम	पहली किश्त जारी करने की तारीख	अनूबन्ध हस्ताक्षर करने की तारीख	जारी की गई पहली किश्त की राशि (₹ करोड़ मे)	पहली किश्त जारी करने के बाद अनुबन्ध हस्ताक्षर में विलम्ब
1.	भारत सीरम एण्ड वैक्सीन लि.	रीकम्बीनेंट चाइनीज हैमस्टर ओवरी (सी.एच.ओ.) सेल लाइन में व्यक्त मोनोक्लोनल टिटेनस इम्यूनोग्लोबलिन (एम.टी.आई.जी.) की वाणिज्यिक रूप से क्षम विनिर्माण प्रक्रिया का चिकित्सीय रूप से विकास और प्रक्रिया विकास	20 मार्च 2006	08 जून 2006	7.07	दो माह
2.	बायोलॉजीकल ई, हैदराबाद	डेंगू वायरस संक्रमण के विरूद्ध डेन1, डेन2, डेन3 और डेन4 के 30 डिलीसन म्यूटेंट और केमरिक निर्माण के उपयोग द्वारा टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन का विकास	31 मार्च 2005	05 मई 2005	2.75	एक माह

क्रम सं.	उद्योग भागीदार का नाम	परियोजना का नाम	पहली किश्त जारी करने की तारीख	अनुबन्ध हस्ताक्षर करने की तारीख	जारी की गई पहली किश्त की राशि (₹ करोड़ मे)	पहली किश्त जारी करने के बाद अनुबन्ध हस्ताक्षर में विलम्ब
3.	केडिला फार्मास्युटीकल्स लिमिटेड, अहमदाबाद	नई पीढ़ी रोगोपचारक और रोगानिरोधी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का विकास	20 मार्च 2006	16 मई 2006	1.00	एक माह
4.	इंस्टीट्यूट आफ मोलीकुलर मेडिसिन, कोलकाता	एच.आई.वी. (सिनर्जी परियोजना) के जीन साइलेसिंग के लिए आर.एन.एआई. पहुंच	31 मार्च 2006	13 जून 2006	3.50	दो माह
5.	प्रोम्ड एक्सपोर्टस प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली	काला मोतिया रोधी हर्बल आईड्राप का निरूपण, विकास, स्थिरता अध्ययन पूर्व नैदानिक और नैदानिक अध्ययन	29 मार्च 2007	26 अप्रैल 2007	0.80	अठाईस दिन
6.	रैनबैक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड, गुड़गावां	चिरकालिक फेफड़ो अवरोधक सम्बन्धित बीमारी के लिए श्रेष्ठ मस्कारिनिक रीसेप्टर एंटागोनिस्ट	29 अगस्त 2006	30 नवम्बर 2006	1.95	तीन माह
7.	स्ट्राइडस आर्कोलेब लिमिटेड (एस.ए.एल.) बंगलुरू (मैं.मेडीजीन फार्मा स्युटीकल्स प्राइ. लि.मि.)	ह्रदय वाहिका के निदान के लिए श्रेष्ठ रीकम्बीनेंट स्टाफिलोकिनास का विकास मैं. स्ट्राइडस आर्कोलैब लिमिटेड (एस.ए.एल.), बंगलुरू	06 दिसम्बर 2006	मार्च 2007	0.89	तीन माह
8.	सुदर्शन बायटेक लि.मि. (एस.बी.एल.) हैदराबाद	हाइडान्टोनस और कार्बामोयल्स एंजाइम्स ई. कोली का उपयोग कर पैरा हाइड्रक्सीफिनाइल ग्लाइसिन (पी.एच.पी.जी.) का उत्पादन	20 मार्च 2006	12 जून 2006	1.18	दो माह
9.	ए.बी.एल. बायोटेक्नालाजी लि.मि. चेन्नई	सी.ओ.एक्स. 2 अवरोधन और नैदानिक में सी-फाइकोसियाविन	14 फरवरी 2006	27 मई 2006	2.00	तीन माह

आपत्ति स्वीकार करते हुए (जून 2015) डी.एस.टी. ने बताया कि संस्वीकृति/निर्गम आदेश में एक शर्त शामिल की गई थी कि जारी राशि द्विपक्षीय अनुबन्ध हस्ताक्षर किए जाने तक खर्च नहीं की जा सकेगी।

डी.एस.टी. के उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाय कि डी.एस.टी. के पास यह सुनिश्चित करने का कोई साक्ष्य नहीं था कि क्या लाभार्थी उद्योगों द्वारा इस प्रावधान का अनुपालन किया गया था और किश्त को पुनः जारी करने में शीघ्रता असपष्ट और निष्फल रही।

3.1.2.4 अनुचित वित्तीय प्रबन्धन

(i) अलग परियोजना लेखा न बनना

योजना मार्गनिर्देशो के अनुसार, उद्योग भागीदारों को परियोजना के अन्तर्गत दिए गए ऋण से खर्च पूरा करने के लिए अलग लेखा बनाना अपेक्षित था। ऋण राशि पर उनके द्वारा अर्जित कोई ब्याज उसी रूप में दर्शाई जानी थी और बाद की किश्तों के निर्गम के प्रति समायोजन हेतु परियोजना लेखा में क्रेडिट की जानी थी।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि उद्योग भागीदारों के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षर करते समय, डी.एस.टी. ने बाद की किश्तों के निर्गम के प्रति समायोजन हेतु परियोजना लेखा का ऋण पर अर्जित ब्याज क्रेडिट करने का खण्ड शामिल नहीं किया था। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा में संवीक्षित 19 परियाजनाओं में से किसी में अलग लेखे नहीं बनाए गए थे, जिसके कारण इन फर्मो को ऋणों के रूप में ₹ 95.27 करोड़ के निर्गम पर अर्जित ब्याज, यदि कोई हो, असमायोजित छोड़ दी गई थी।

डी.एस.टी. ने अनुमान लगाया (जून 2015) कि उद्योग प्रत्येक परियोजना के लिए अनुरक्षित अलग लेखे के आधार पर व्यय विवरण के साथ उपयोग प्रमाणपत्र अवश्य भेज रहे होंगे।

डी.एस.टी. का उत्तर लेखापरीक्षा आपत्ति का समर्थन करता है कि उन्होनें सुनिश्चित नहीं किया कि क्या उद्योग भागीदारों द्वारा अलग लेखे वास्तव में बनाए गए थे।

(ii) उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करना

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 226[22] के अनुसार डी.एस.टी. को प्रत्येक वर्ष उद्योग भागीदारों द्वारा प्रयुक्त ऋणों के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त करना अपेक्षित था। 19 परियोजनाओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि छः परियोजनाओं में ₹ 11.09 करोड़ के ऋणों के उपयोग पत्र तीन से नौ वर्षों तक की अवधियों के लिए अप्रैल 2006 से बकाया थे। ब्यौरे ***परिशिष्ट 11*** में दिए गए है।

[22] विशेष प्रयोजन हेतु जारी प्रत्येक ऋण के मामले में ऋण के उपयोग का एक प्रमाणपत्र भेजा जाना चाहिए।

डी.एस.टी. ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली (जून 2015)

(iii) ऋणों तथा ब्याज की चुकौती में चूक

ऋण अनुबंधों के खण्ड 3.2 के अनुसार, ऋणों की अदायगी 10 वार्षिक बराबर किश्तों में की जानी थी और उद्योग भागीदारों को अधिसूचित अनुसूची के अनुसार ब्याज के साथ ऋणों की चुकौती सुनिश्चित करनी थी। चुकौती में किसी विलम्ब के लिए विलम्ब की अवधि में 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष मिश्रित मासिक की दर पर दण्डात्मक ब्याज का भुगतान होना था। इसके अलावा बकाया ऋण राशि की अदायगी में दो अनुवर्ती चूकों का परिणाम कुल बकाया ऋण राशि का शीघ्र ही वापसी करना होगा। अनुबन्ध में यह भी अनुबन्ध किया गया कि कोई विवाद मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा मध्यस्थम को भेजा जा सकेगा।

31 मार्च 2014 को ₹ 63.34 करोड़ की ऋणों की मूल राशि और ब्याज से सम्बधित राशि नवम्बर 2008 से मार्च 2014 तक की अवधि के लिए नौ फर्मों से प्राप्य थी। इसके अलावा ऋणों में दो अनुवर्ती बार से अधिक के लिए चूक हुई थी फिर भी डी.एस.टी. ने बकाया ऋणों की वसूली के लिए काई कार्रवाई नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, तालिका 16 में ब्यौरे के अनुसार, 12 फर्मों से ₹ 10.34 करोड़ की दण्डात्मक ब्याज की राशि देय थी।

तालिक 16 : ऋणो की चुकौती में चूक

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	उद्योग भागीदार का नाम	परियोजना का नाम	बकाया राशि		
			ऋण	ब्याज	दण्डात्मक ब्याज
1.	ए.बी.एल. बायोटेक्नोलॉजीज लिमिटेड, चेन्नई	सी.ओ.एक्स.-2 इनहिबिशन और नैदानिक सी- फिइकोसियानिन	4.00	0.63	0.93
2.	सेलमैक्स फार्मा प्राईवेट लिमिटेड, अलीगढ़	वाणिज्यिक रूप से क्षम रीकम्बीनेंट उत्पाद और नैदानिक किटें	2.00	0.29	0.22
3.	केमबायोटेक रिसर्च इण्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	अण्डरकाप्रीनिल पाहरोफास्फेट सिन्थेस (यू.पी.पी.) के श्रेष्ठ इनहिबाटर्स का खोज और विकास	11.00	1.33	1.68
4.	इण्डीजिन फार्मास्युटीकल्स प्राइवेट लिमिटेड, हैदाराबाद	चरण-सी के माध्यम से प्राथमिकीकृत औषध अभ्यर्थियो का चिकित्सीय विकास। पूरी न हुई चिकित्सा और बाजार आवश्कताओं को पूरा करने के लिए पेड़ो से प्राप्त प्राकृतिक आणविक	14.95	1.94	3.80

क्रम सं.	उद्योग भागीदार का नाम	परियोजना का नाम	बकाया राशि		
			ऋण	ब्याज	दण्डात्म कब्याज
		सयोजनों (एन.एम.सी.) आधारित नवपरिवर्तनकारी, सुरक्षित और प्रभावी औषधियों का विकास और सुपुर्दगी।			
5.	इंस्टीटयूट आफ मोलीकुलर मेडिसिन, कोलकाता	एच.आई.वी. (सिनर्जी परियोजना) के जिन साइलेंसिग के लिए आर.एन.ए.आई. की पहुंच।	10.00	1.27	1.55
6.	मेडिक्लोन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई	रेबीज रोधी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी (एम.ए.बी.) काकटेल और रेबीज वायरस खोज के लिए इम्यूनोडाइग्नोस्टिक एम.ए.बी. का विकास विनिर्माण	10.22	0.87	0.92
7.	माइक्रोटेस्ट इन्नोलेशन्स प्राइवेट लिमिटेड, बंगलुरू	एचआईवी/एड्स में औषध प्रभावोत्माकदता मॉनीटरिंग में लागत प्रभावी वायरल लोड और इसके वाणिज्यक अनुप्रयोग का विकास	1.18	0.21	0.30
8.	सुर्दशन बायोटेक लिमिटेड, हैदराबाद	हाइडा-टोइनेस और कार्बामोलास एंजाइम क्लोन्ड ई-कोली का उपयोग कर पैरा हाइड्रोफिनाइल ग्लाइसिन (पी.एच.पी.जी.) का उत्पादन	1.96	0.25	0.30
9.	थर्टीन हर्ब्स एण्ड क्योर, नई दिल्ली	एचआईवी/एड्स के लिए देशी प्रतिरक्षक हर्बल फार्मलेशन जी-ज्योति अमृतम का विकास	1.11	0.13	0.17
10.	भारत सीरमस एण्ड वैक्सीन्स लिमिटेड, मुम्बई	रीकम्बीनेंट चाइनीज हैमस्टर सेललाइन में व्यक्त मोनोक्लोनल टिटेनस इम्युनाग्लोबलिन (एम.टी.आई.जी.) की वाणिज्यिक रूप से विनिर्माण प्रक्रिया का विकास जिसके कारण वाणिज्यिकीकरण हुआ	-	-	0.18
11.	बिगटेक प्राइवेट लिमिटेड, बंगलुरू	उच्च उत्पादक रीकम्बीनेंट मानव इन्सूलिन स्ट्रेन प्रक्रिया का विकास जिसके कारण व्यापारीकरण हो	-	-	0.21
12.	केडिला फार्मास्युटीकल्स लिमिटेड, अहमदाबाद	अग्नाशपी कैंसर के लिए रोगोपचारक वैक्सीन का विकास	-	-	0.08
जोड़			56.42	6.92	10.34

लेखापरीक्षा में देखा गया कि डी.एस.टी. ने न तो इन उद्योग भागीदारों से प्राप्य शास्तिक ब्याज की राशि संगणित की और न ही चूककर्ताओं से बकाया ऋण वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई की, यद्यपि चुकौतियां पाँच वर्षो से अधिक समय से प्राप्य थीं।

तथ्य स्वीकार करते समय डी.एस.टी. ने बताया (जून 2015) कि बकायों की वसूली के लिए प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई थी।

3.1.2.5 अपर्याप्त परियोजना मॉनीटरिंग

उद्योग भागीदारों के साथ किए अनुबन्धों के खण्ड 4 के अनुसार, इस क्षेत्र के प्रख्यात विशेषज्ञों से बनी परियोजना मॉनीटरिंग समिति (पी.एम.सी.), अनुबन्ध में यथा निर्दिष्ट मील के पत्थरों, लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की समीक्षा और जांच करने के लिए और उनके आधार पर अतिरिक्त संस्थागत/उद्योग भागीदारों सहित निर्धारित करने और परियोजना के समय पूर्व बन्द करने अथवा संशोधन करने और कार्यान्वयक एजेंसी की वित्तपोषण सहायता संशोधित करने की सिफारिश करने के लिए डी.एस.टी. द्वारा नियुक्त की जानी थी । परियोजनाएं केवल पी.एम.सी. की सिफारिश पर ही पूर्ण घोषित की जानी थी।

अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि 19 परियोजनाओं में से किसी का भी निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सम्पूर्ण परियोजना अवधि में पी.एम.सी. द्वारा मॉनीटरिंग नहीं किया गया था। इसके अलावा, ऋण की अंतिम/आखिरी किश्त जारी करने के बाद परियोजनाओं के कार्यकलाप अब भी चालू होने के बावजूद, पी.एम.सी. बैठकें आयोजित नहीं की गई थीं। परिणामतः ये परियोजनाएं औपचारिक रुप से बन्द घोषित नहीं की गई थी। डी.एस.टी. भी निर्धारित करने में विफल हो गया कि क्या उद्योग भागीदारों ने पी.एम.सी. की सिफारिशों पर कोई अनुवर्ती कार्रवाई की है, और इस अवधि के दौरान इसके द्वारा किए गए कार्यकलाप और उद्देश्य परिकल्पित अनुसार थे। ऐसी सूचना के अभाव में यह अभिनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या परियोजना के बाद मॉनीटरिंग किया गया था। इसके समर्थन में भी कोई अभिलेख नहीं था कि प्रत्येक परियोजना के लिए गठित पी.सी.एम. सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित थी। तीन परियोजनाओं में पी.सी.एम. का गठन उसी परियोजना की भिन्न बैठकों के दौरान परिवर्तित किया गया था, तथापि ऐसे परिवर्तनों के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अभिलेखों में नहीं था। इन सभी परियोजनओं के ब्यौरे ***परिशिष्ट XIV*** में दिए गए हैं।

डी.एस.टी. ने बताया (जून 2015) कि प्रत्येक परियोजना का मॉनीटरिंग समिति द्वारा मॉनीटरिंग किया गया था और ऋण की अगली किश्त मॉनीटरिंग समिति की

सिफ़ारिशों और यू.सी. प्रस्तुतिकरण के आधार पर जारी की गई थी। उन्होने आगे बताया कि कुछ परियोजनाओं की मॉनीटरिंग उनके समापन के बाद की गई थी और आगे बताया कि मॉनीटरिंग समिति के गठन में परिवर्तन विशेषज्ञों की अनुपलब्धता जैसे विभिन्न कारणों के कारण किया गया था।

डी.एस.टी. का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परियोजनाओं की मॉनीटरिंग निर्धारित बारम्बारता के अनुसार सम्पूर्ण परियोजना अवधि के दौरान नहीं की गई थी और ऋण की अन्तिम आखिरी किश्त जारी करने के बाद कोई/पी.सी.एम. बैठकें आयोजित नहीं की गई थी। इसके अलावा मॉनीटरिंग समितियों के गठन में परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी अर्थात सचिव, डी.एस.टी. द्वारा अनुमोदित नहीं थे।

3.1.2.6. ऋण की चुकौती अनुसूची का अनियमित संशोधन

डी.पी.आर.पी. के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाओ के मॉनीटरन हेतु गठित पी.एम.सी. की समझौता शर्तों के अनुसार, वित्तपोषण और परियोजना अनुसूची में संशोधनों सहित परियोजनाओं के संघटकों में परिवर्तन पी.एम.सी. की सिफारिशों के आधार पर और सचिव डी.एस.टी. के अनुमोदन से किए जाने थे। तथापि लेखापरीक्षा में देखा गया कि तालिका 17 में उल्लिखित तीन मामलों[23] में डी.एस.टी. ने मॉनीटरन समिति की सिफारिशों और सचिव डी.एस.टी. की सहमति बिना मन माने ढंग से परियोजना अवधि में वृद्धि की और ₹ 14.01 लाख की ऋण सहायता की अदायगी अनुसूची संशोधित थी जो अनियमित था।

23 इंस्टीट्यूट ऑफ मोलीकूलर मेडिसिन को आर.एन.ए. हस्तक्षेप (आर.एन.आई.) की विशाल संभावना को दोहन कर जीन विनियमन द्वारा मानव थेरेपी हेतु तर्कसंगत और चयनशील सिंथेटिक आर.एन.ए. अवरोदकों का विकास; (ii) सुदर्शन बायोटेक लिमिटेड, हैदराबाद को हाइड्रान्टोइंस और कार्बामोलास एंजाइम क्लोन्ड ई-कोली का उपयोग कर पैरा हाइड्रोफिनाइल ग्लाइसिन (पी.एच.पी.जी.) का उत्पादन; और (iii) प्रोमेड एक्स्पोर्टस प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को काला मोतियारोधी हर्बल आई ड्रॉप का निरूपण विकास, स्थिरता अध्ययन, पूर्व नैदानिक, नैदानिक अध्ययन।

तालिका 17 : पी.सी.एम. की सिफारिश के बिना परियोजना घटकों में परिवर्तन

क्रम सं.	उद्योग भागीदार का नाम	परियोजना का नाम	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1.	इस्टीटयूट ऑफ मोलीकूलर मेडीसिन, कोलकाता	आर.एन.ए. हस्तक्षेप (आर.एन.ए.आई.) की विशाल संभावना का दोहन कर जीन विनियमन द्वारा मानव थेरेपी हेतु तर्क संगत और चयनशील सिंथेटिक आर.एन.ए. अवरोधकों का विकास।	उद्योग भागीदारों द्वारा निधियों के कम उपयोग के कारण डी.एस.टी. के एकीकृत वित्त प्रभाग ने सिफारिश की कि निधियों के बचे शेष पर उपचित ब्याज विभिन्न किश्तों में देय ब्याज/आस्थगित ब्याज में समायोजित किया जाय और तदनुसार चुकौती अनुसूची संशोधित की गई। इसके बजाय डी.एस.टी. ने परियोजना की अवधि मनमाने ढंग से एक वर्ष तक बढ़ा दी जिससे उद्योग भागीदार को एक वर्ष की ढील दी गई जिसके कारण 01 अप्रैल 2009 को देय पहली किश्त 01 अप्रैल 2010 तक बढ़ाई गई।
2.	सुर्दशन बायोटेक लिमिटेड, हैदराबाद	हाइडान्टोइंस और कर्बामाइलसे एंजाइम क्लोन्ड ई-कोली का उपयोग कर पैरा हाइड्रोफिनाइल ग्लाइसनि (पी.एच.पी.जी.) का उत्पादन	परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते समय विशेषज्ञ समिति ने जुलाई 2009 में आयोजित अपनी बैठक में बिना लागत वृद्धि के आधार पर एक वर्ष तक अर्थात् मार्च 2010 तक परियोजना अवधि में वृद्धि की सिफारिश की। तथापि विशेषज्ञ समिति की सिफारिश का अनुपालन किए बिना परियोजना मनमाने ढंग से समय पूर्व बंद कर दी गई थी।
3.	प्रोमेड एक्सपोर्टस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	काला मोतियारोधी हर्बल आई ड्राप का निरूपण विकास, स्थिरता अध्ययन, पूर्व नैदानिक, नैदानिक अध्ययन	सितम्बर 2009 में परियोजना की समीक्षा करते समय पी.एम.सी. ने परियोजना प्रगति संतोषजनक पाई और मार्च 2010 की परियोजना अवधि से आगे वृद्धि की सिफारिश नहीं की थी। तथापि डी.एस.टी. ने चुकौती अनुसूची संशोधित की तथा ऋण/ब्याज की चुकौती 31 मार्च 2011 से आरम्भ हुई थी।

डी.एस.टी. ने बताया (जून 2015) कि इंस्टीट्यूट ऑफ मोलीकूलर मेडीसिन, कोलकाता की संस्वीकृत परियोजना अवधि उनके वित्त प्रभाग के सुझावों के अनुसार बढ़ाई गई थी। यह स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पी.एम.सी. द्वारा ऐसी वृद्धि की कोई सिफारिश नहीं की गई थी।

3.3.1 निष्कर्ष

औषध एवं औषधीय अनुसंधान कार्यक्रम भारतीय फार्मा उद्योग और अनुसंधान संस्थाओं की सामर्थ्य को शक्ति देने के द्वारा फार्मा आर.एण्ड.डी. क्षेत्र में क्षमताएं विकसित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था ताकि खरीद शक्ति की कमी वाले समान गरीब वर्गों के लिए निम्नतर लागतों पर नई औषधीय विकसित की जा सके। लेखापरीक्षा में देखी गई 19 परियोजनाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने निजी फर्मों को ₹ 95.27 करोड़ का आसान ऋण जारी किया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 19 परियोजनाओं में से किसी के भी परिणाम डी.एस.टी. को ज्ञात नहीं थे क्योंकि उद्योग भागीदारों द्वारा परियोजना समापन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी। परियोजनाओं के चयन में विधिवत वित्तीय सचेतना डी.एस.टी. द्वारा नहीं बरती गई थी और वित्तीय रुप से अशक्त कम्पनियों को ऋण जारी किए गए थे जिन्होने बाद में ऋणों की चुकौती में चूक की। ऋणों की मूल राशि और ब्याज से संबंधित ₹ 63.34 करोड़ की राशि 31 मार्च 2014 तक नौ परियोजनाओं के औद्योगिक भागीदारों से प्राप्त होनी थी। इसके अतिरिक्त 12 परियोजनाओं के औद्योगिक भागीदारों ₹ 10.34 करोड़ के शास्तिक ब्याज की राशि प्राप्त होनी थी। कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित परियोजना मानीटरन तन्त्र के बावजूद परियोजना का कार्यान्वयन अवधि के दौरान और समापन के बाद मानीटरन शिथिल था। परिणामस्वरूप 19 परियोजनाओं में से किसी में अन्तिम समापन रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई थीं जिसके कारण डी.एस.टी. के पास परियोजनाओं से प्राप्त परिणामों पर कोई सूचना नहीं थी।

इस प्रकार, 19 परियोजनाओं में ₹ 95.27 करोड़ का निवेश करने के बाद, क्षमताएं बनाने, औषधियों का विकास और न्यूनतम लागत पर उन्हें प्रदान करने के कार्यक्रम का प्रयोजन देखा नहीं गया था।

3.2 भूमि के खराब प्रबंधन के कारण परिहार्य व्यय और कार्यालय परिसर का विलम्बित निर्माण

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने नोएडा से भूमि प्राप्त करने के संबंध में पट्टा पत्रक निष्पादित करने में 21 वर्ष का विलम्ब किया और स्वीकार्य समयावधि के अंदर कार्यालय परिसर का निर्माण पूरा करने में विफल हो गया। फलस्वरूप इसने निर्माण के समापन तक शास्तियों के प्रति आवर्ती देयताओं के अतिरिक्त ₹1.81 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) ने अपने विभिन्न कार्यालयों/संस्थानों के निर्माण हेतु ₹ 13.05 करोड़ के भुगतान के प्रति न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) से पट्टे पर 40 एकड़[24] भूमि प्राप्त की (मार्च 1992)। कार्य तीन चरणों में किया जाना था, यथा चरण I के अंतर्गत 10 एकड़ में मीडियम रेंज राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र (एम.सी.एम.आर.डब्ल्यू.एफ)[25] का निर्माण, चरण II के अंतर्गत 10 एकड़ में विज्ञान प्रसार[26] का निर्माण और चरण III के अंतर्गत शेष 20 एकड़ भूमि पर डी.एस.टी. के संस्थानों/कार्यालयों का निर्माण। नोएडा द्वारा भूमि की आबंटन की शर्तों के अनुसार, डी.एस.टी. को स्वामित्व की तारीख से छः माह के अंदर निर्माण कार्य आरम्भ करना था और चार वर्षों की अवधि के अंदर उसे पूर्ण करना था। मार्च 2014 तक डी.एस.टी. ने केवल चरण I का निर्माण पूर्ण किया था। डी.एस.टी. को भूमि के संबंध में पट्टा पत्रक निष्पादित करना भी अपेक्षित था। तथापि भूमि का पट्टा पत्रक 21 वर्षों के विलम्ब के बाद अक्टूबर 2013 में पंजीकृत किया गया था।

लेखापरीक्षा में भूमि का खराब प्रबंधन और डी.एस.टी. द्वारा कार्य की त्रुटिपूर्ण योजना देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप पट्टा पत्रक के पंजीकरण में विलम्ब और निर्माण बाध्यताओं को पूरा करने में विफलता के कारण ₹ 1.81 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ जैसे अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

पट्टा पत्रक के पंजीकरण में विलम्ब

यद्यपि डी.एस.टी. ने मार्च 1992 में भूमि प्राप्त की परन्तु उसने नौ वर्षों के विलम्ब के बाद सितम्बर 2011 में ही नोएडा से पट्टा अनुबंध किया। पट्टा अनुबंध के अनुसार,

[24] प्लॉट ए-50 पर 10 एकड़ और प्लॉट ए-33 पर 30 एकड़, सेक्टर 62 नोएडा।

[25] एक यूनिट जो पूर्व में डी.एस.टी. के अधीन थी और वर्तमान में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अधीन है।

[26] डी.एस.टी. के अधीन एक स्वायत्त निकाय।

डी.एस.टी. और नोएडा से पट्टा अनुबंध की शर्तों के अनुसार अंतिम पट्टा पत्रक हस्ताक्षर करने और आयकर विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्राप्ति से 30 दिनों की अवधि के अंदर उसे पंजीकृत करने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाने अपेक्षित थे। समय पर पट्टा पत्रक निष्पादित करने में विफलता पर भूमि की लागत के 2.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर शास्ति लगेगी।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि नोएडा से दोहराए अनुस्मारकों के बाद, डी.एस.टी./ एन.सी.एम.आर.डब्ल्यू.एफ. ने पट्टा पत्रक के निष्पादन हेतु नोएडा को अपेक्षित दस्तावेज भेजे (नवम्बर 2012)। तथापि, बकाया पट्टा किराया की राशि के संबंध में डी.एस.टी. और नोएडा के बीच असहमति के कारण पत्रक निष्पादित नहीं किया गया था, जो पत्राचार के अधीन रहा। बाद में डी.एस.टी. ने मार्च 2005 की अवधि तक पट्टा किराए का एक मुश्त भुगतान करने का अपना निर्णय नोएडा को सूचित किया और नोएडा द्वारा दी गई मांग के आधार पर डी.एस.टी. ने ₹ 6.04 करोड़ के पट्टा किराए का एक मुश्त भुगतान जमा किया (मार्च 2005)।

लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि पट्टा किराए का एक मुश्त भुगतान करने के बाद भी डी.एस.टी. ने पट्टा पत्रक निष्पादित नहीं किया था, क्योंकि नोएडा ने पट्टा पत्रक का निष्पादन न करने के लिए ₹ 32.63 लाख[27] प्रति वर्ष की दर पर मुश्त की अब भी माँग की थी। इसके अतिरिक्त डी.एस.टी. ने एक मुश्त पट्टा किराया के भुगतान में सात दिनों का विलम्ब किया था जिसके लिए नोएडा ने लगभग ₹ 90 लाख की शास्ति की भी मांग की। डी.एस.टी. ने शास्ति के अधित्याग के लिए नोएडा से लगातार पत्राचार किया और यह अंततः 1992 से 2010 तक की अवधि के लिए नोएडा से शास्ति के भुगतान का अधित्याग प्राप्त करने में समर्थ हो गया (सितम्बर 2013)। तथापि, नोएडा ने अगस्त 2010 से अक्टूबर 2013 तक की अवधि के लिए पट्टा पत्रक के निष्पादन में विलम्ब के लिए ₹ 1.03 करोड़ की शास्ति उदग्रहीत की (सितम्बर 2013)। तदनुसार, डी.एस.टी. ने उसे जमा किया और नोएडा के साथ पट्टा पत्रक निष्पादित किया (अक्टूबर 2013)।

चूँकि भूमि ज्ञात शर्तों तथा निबंधनों के अंतर्गत डी.एस.टी. को पट्टा की गई थी इसलिए पट्टा पत्रक के पंजीकरण का दायित्व पूर्णतया डी.एस.टी. पर था। तथापि समय पर ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.03 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

[27] ₹ 13.05 करोड़ का 2.5 प्रतिशत।

कार्यालय परिसर के निर्माण में विलम्ब

भूमि के आबंटन की शर्तों तथा नियमों के अनुसार, डी.एस.टी. को भवन योजना के लिए नोएडा की पूर्व संस्वीकृति प्राप्त करना, प्लॉट के स्वामित्व की तारीख से छः माह के अंदर निर्माण कार्य आरम्भ करना, स्वामित्व की तारीख से चार वर्षों के अंदर अर्थात मार्च 1997 तक उन्हें प्रचालन में लाना और नोएडा से समापन प्रमाणपत्र प्राप्त करना अपेक्षित था जिसकी विफलता में भवन के निर्माण में विलम्ब के लिए भूमि की लागत के चार प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर शास्ति भुगतान करने के लिए यह देय था। नोएडा ने निर्माण कार्य पूरा करने के लिए डी.एस.टी. को 2001 तक समय वृद्धि दी।

एन.सी.एम.आर.डब्ल्यू.एफ. का निर्माण राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (एन.आई.डी.सी.), भारी उद्योग मंत्रालय (एम.ओ.एच.आई.) के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को सौंपा गया था (1998)। तथापि, जब भवन का निर्माण प्रगति पर था तब एन.आई.डी.सी. को प्रशासनिक और वित्तीय कारणों से एम.ओ.एच.आई. द्वारा बंद कर दिया गया था (मई 2002) जिसके परिणामस्वरूप इसने कार्य छोड़ दिया। बाद में, अवशिष्ट कार्य मेकान लिमिटेड, इस्पात मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को दिया गया था जिसने उसे मार्च 2004 में पूर्ण किया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि एन.सी.एम.आर.डब्ल्यू.एफ. के भवन का निर्माण करते समय डी.एस.टी. नोएडा के अनुमोदन हेतु ड्राइंग और फर्श योजनाएं प्रस्तुत करने में विफल हो गया, जिसके कारण उसने विनियमन प्रभारों के रूप में ₹ 25.80 लाख का भुगतान किया (जुलाई 2008)। लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि अर्जित 40 एकड़ भूमि में से डी.एस.टी. ने 10 एकड़ भूमि पर केवल चरण I का निर्माण पूर्ण किया था। शेष 30 एकड़ भूमि पर निर्माण आरम्भ नहीं हुआ था, जिससे डी.एस.टी. मार्च 2001 के बाद ₹ 52.20 लाख[28] प्रतिवर्ष की शास्ति का देय हो गया।

डी.एस.टी. ने समय वृद्धि देने और निर्माण में विलम्ब के लिए शास्ति के अधित्याग के लिए आवधिक रूप से नोएडा को अनुरोध किया। यद्यपि डी.एस.टी. ने नोएडा को चरण II के निर्माण हेतु ड्राइंग और योजना पहले ही प्रस्तुत कर दी थीं (2007-2008) परन्तु पट्टा पत्रक निष्पादन में विलम्ब के लिए शास्ति के अधित्याग के मामले के समाधान रह जाने तक उनका अनुमोदन प्राप्त करने में यह असमर्थ था। बाद में नोएडा ने दिसम्बर 2013 तक समय वृद्धि दी, तथापि डी.एस.टी. निर्माण कार्य आरम्भ करने में असमर्थ था क्योंकि उसने विज्ञान प्रसार के निर्माण का चरण II कार्यान्वित

[28] ₹ 13.05 करोड़ का 4 प्रतिशत।

करने का कार्य केवल अप्रैल 2014 में दिया था। उसके बाद डी.एस.टी. ने दिसम्बर 2014 तक और समय वृद्धि के लिए नोएडा से अनुरोध किया (अप्रैल 2014) परंतु नोएडा ने मामले पर कोई निर्णय लेने से पूर्व दिसम्बर 2013 से दिसम्बर 2014 तक ₹ 52.20 लाख की वृद्धि फीस के भुगतान पर जोर दिया (जून 2014)। डी.एस.टी. ने नोएडा को ₹ 52.20 लाख की वृद्धि फीस जमा कर दी (जुलाई 2014)।

इस प्रकार भूमि के खराब प्रबंधन, दोषपूर्ण योजना और निर्माण बाध्याताएं पूरी न करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.81 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। इसके अलावा शास्ति, यदि नोएडा द्वारा मांग की गई, के भुगतान के कारण आवर्ती देयताएँ निर्माण के समापन तक डी.एस.टी. द्वारा चुकानी होगी।

डी.एस.टी. ने बताया (फरवरी 2015) कि विभाग के संगठित प्रयासों के कारण ₹ 12.30 करोड़ के पट्टा किराए का अधित्याग हुआ था और विभाग केवल ₹ 1.03 करोड़ का भुगतान करने का दायी था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11 करोड़ की बचत हुई। निर्माण में विलम्ब के विषय में डी.एस.टी. ने बताया कि कार्यालय परिसर के निर्माण के लिए प्राथमिक अनुमानों के प्रसतुतीकरण के लिए एन.बी.सी.सी.[29] पर विचार किया गया था।

डी.एस.टी. का उत्तर इस तथ्य के परिपेक्ष्य में देखा जाय कि विभाग ने पट्टा पत्रक निष्पादित करने और समय पर निर्माण पूरा करने में अपनी विफलता के लिए 2010 तक समय-समय पर उस पर उदग्रहीत शास्तियों का अधित्याग प्राप्त किया था। तथ्य यह शेष रहा कि डी.एस.टी. को समय पर पट्टा पत्रक निष्पादित न करने, निर्माण के लिए समय वृद्धि और अनुमोदित योजनाओं बिना निर्मित भवन के विनियमन के कारण ₹ 1.81 करोड़ की शास्ति का भुगतान करना पड़ा था। इसके अतिरिक्त क्योंकि कार्य अभी फरवरी 2015 तक दिया जाना था, इसलिए आवर्ती देयताओं जो समय सूची का पालन न करने के कारण उठानी पड़ेगीं, पर लेखापरीक्षा की चिंताएं प्रासांगिक रहती हैं।

[29] राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, शहरी विकास मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम।